


31³/₂₂ वकील उमय पस उप० / पत्रावली कारते जवान हतु
डिगंठ ०३-६-२२ को पेश ले / उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

10⁵/₂₂ आज पत्रावली हलन कसे पर पेश हुई / वकील
वादी / प्रतिवादी उप० / वकील वादी प्रतिवादी ने
अपने-अपने पस कारन की पहचान की गई /
वादी एवं प्रतिवादी की ओर से राजीनामा
पेश किया गया / जो तुरन्त किया जाकर
शामिल पत्रावली किया गया / पत्रावली
कारते आदेश डिगंठ 14-5-2022 को पेश ले /

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

14⁵/₂₂ आज पत्रावली राजरब लोक अदालत में पेश
हुई / वकील वादी / प्रतिवादी उप० / वादी का
दावा मुताबिक राजीनामा के डिखी किया
जाता है / डिखी प्रक से जारी कल शाकिर
पत्रावली की जाने / पत्रावली फौदल हुंकार
लेकर वाड एकमूल दफतर दारबिल की
जावे /

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास


जि.सू.

नामलेश
राष्ट्रपक्षी
कैरनती
पहचानपत्री
होगे मुलाक
ध.व.

डिकरी व मुकद्दमें इब्दाई

Jud/Civil

(Order 20 Rule 6 CPC)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अदालत : उप जिला कलेक्टर (कैम्प लोक अदालत) मुकाम बामनवास
इजलास : रतनलाल योगी आर.ए.एस.

1	कैलाश पुत्र देवनारायण जाति मीना निवासी कुआगाँव तह0 बामनवास जिला सवाई माधोपुर -वादी-	ब ना म	1 मूल्या पुत्र विरदया, (मृतक) 1/1 कमलेश पुत्र मूल्या, 1/2 ऋषिकेश पुत्र मूल्या, 1/3 केशन्ती पुत्री मूल्या, जाति मीना निवासी कुआगाँव तहसील बामनवास 2 लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास, 3 ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स शाखा बामनवास जरिये शाखा प्रबन्धक 4 आई.सी.आई.सी.आई बैंक लि. शाखा रिवाली जरिये शाखा प्रबन्धक -प्रतिवादीगण-
---	---	--------------	---

मुकदमा नम्बर - 125/18

दावा बाबत भूमि विभाजन, घोषणा खातेदारी,

इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री लालूराम शर्मा मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि-

दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। बैंकों का रहन पक्षकारान के हिस्से में आई आराजी पर यथावत रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.05.2022 को जारी किया गया।

उपजिला कलेक्टर

बामनवास (स०मा०)

(रतनलाल योगी)

उप जिला कलेक्टर

बामनवास